जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2024/डी–   दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 200वीं बैठक दिनांक 19.09.2024 को सायं 05:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र. सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	200:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 199वीं बैठक दिनांक 03.09.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 199वीं बैठक दिनांक 03.09.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदया द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र नियमानुसार पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	2	200:2	बजट घोषणा वर्ष 2024–25 अनुसार राजकीय महाविद्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर भवन निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की विद्याधर नगर योजना के सेक्टर–7 मे ं संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 5400 व.मी. भूमि का निःशुल्क आवंटन बाबत्।	बजट घोषणा वर्ष 2024–25 अनुसार राजकीय महाविद्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर भवन निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की विद्याधर नगर योजना के सेक्टर–7 में संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 5400 व.मी. भूमि का निःशुल्क आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन प्रस्तावानुसार राजकीय महाविद्यालय, विद्याधर नगर हेतु जविप्रा योजना विद्याधर नगर के सेक्टर–7 में स्थित संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 5400 व.मी. भू–आवंटन नीति–2015 के क्रम में निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया।
3.	12	200:3	जविप्रा की योजना आनन्द लोक द्वितीय विस्तार में आवंटित भूखण्ड संख्या 819 क्षेत्रफल 120.00 व.मी. (मौका स्थिति अनुसार क्षेत्रफल 205.35 व.मी.) के स्थान पर इसी योजना में अन्य उपलब्ध/रिक्त भूखण्ड संख्या 833 व 836 क्षेत्रफल क्रमशः 120.00 व. मी. भूखण्डों मे ं से कोई एक भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत्।	जविप्रा की योजना आनन्द लोक द्वितीय विस्तार में आवंटित भूखण्ड संख्या 819 क्षेत्रफल 120.00 व.मी. (मौका स्थिति अनुसार क्षेत्रफल 205.35 व.मी.) के स्थान पर इसी योजना में अन्य उपलब्ध/रिक्त भूखण्ड संख्या 833 व 836 क्षेत्रफल क्रमशः 120.00 व.मी. भूखण्डों में से कोई एक भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। जोन के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के बदले दिनांक 01.08.2016 को भूखण्ड संख्या 819 क्षेत्रफल 120.00 व.मी. का आवंटन जरिये लॉटरी से किया गया। जिसका क्षेत्रफल अनुमोदित मानचित्र व मौका स्थिति के

RajKaj Ref No.: 10625399

				अनुसार 205.35 व.मी. है जो 85.35 व.मी. बढा हुआ है। माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष विचाराधीन रेफरेंस प्रार्थना–पत्र संख्या 46/2024 में माननीय न्यायालय के द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 819 के स्थान पर नवीन भूखण्ड दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसकी अनुपालना में उक्त भूखण्ड के स्थान पर उक्त योजना में रिक्त/उपलब्ध भूखण्ड संख्या 833 व 836 क्षेत्रफल क्रमशः 120.00 व.मी. में से कोई एक भूखण्ड विनिमय में दिया जाना प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर भूखण्ड संख्या 833 व 836 में से एक भूखण्ड प्रार्थी की उपस्थिति में लॉटरी द्वारा विनिमय में आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
4.	12	200:4	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर) जयपुर को निजी खातेदारी योजना बिरदा एनक्लेव ग्राम भांकरोटाकलां तहसील सांगानेर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र–I क्षेत्रफल 3627.22 वर्गगज में से 1000.00 वर्गगज भूमि उच्च जलाशय (पानी की टंकी) के निर्माण हेतु आवंटन के क्रम में।	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर) जयपुर को निजी खातेदारी योजना बिरदा एनक्लेव ग्राम भांकरोटाकलां तहसील सांगानेर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र–I क्षेत्रफल 3627.22 वर्गगज में से 1000.00 वर्गगज भूमि उच्च जलाशय (पानी की टंकी) के निर्माण हेतु आवंटन के क्रम में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर उच्च जलाशय (पानी की टंकी) के निर्माण हेतु निजी खातेदारी योजना बिरदा एनक्लेव ग्राम भांकरोटाकलां तहसील सांगानेर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र–I क्षेत्रफल 3627.22 वर्गगज में से 1000 वर्गगज भूमि भू–आवंटन नीति–2015 के क्रम में निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

5.	13	200:5	ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील आमेर मे सर्वसमाज के लिए श्मशान घाट हेतु राजस्व ग्राम कंवरपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 632 रकबा 2.42 हेक्टेयर में से 0.52 हेक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आवंटित/आरक्षित करने बाबत्।	ग्राम पंचायत कंवरपुरा, तहसील आमेर में सर्वसमाज के लिए श्मशान घाट हेतु राजस्व ग्राम कंवरपुरा, तहसील आमेर के खसरा नं. 632 रकबा 2.42 हेक्टेयर में से 0.52 हेक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आवंटित/आरक्षित करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम कंवरपुरा के खसरा नं. 632 रकबा 2.42 हेक्टेयर में से श्मशान हेतु उपयोग में आ रही 0.52 हेक्टेयर भूमि श्मशान हेतु निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।
अतिरिक्त एजेण्डा				
6.	12	200:6	कार्यालय उप तहसील बगरू को बजट घोषणा 2024–25 में क्रमोन्नत किया गया है। इस हेतु संस्थानिक योजना दहमीकलां में 1000 व.मी. अतिरिक्त भूमि निःशुल्क आंवटन बाबत्।	कार्यालय उप तहसील बगरू को बजट घोषणा 2024–25 में क्रमोन्नत किया गया है। इस हेतु संस्थानिक योजना दहमीकलां में 1000 व.मी. अतिरिक्त भूमि निःशुल्क आंवटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। जोन प्रस्ताव अनुसार एलपीसी की 199वीं बैठक में प्रकरण रखा जाकर 1000 व.मी. भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया परन्तु कार्यवाही विवरण अनुसार आवंटन दर के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रकरण पर विचार–विमर्श कर तहसील कार्यालय बगरू (क्रमोन्नत) हेतु 1000 व.मी. भूमि भू–आवंटन नीति–2015 के क्रम में निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। शेष कार्यवाही विवरण यथावत रहेगा। राज्य सरकार को पूर्व में पत्र दिनांक 24.6.2022 को 5368.18 व.मी. भूमि आवंटन हेतु प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ है अतः राज्य सरकार को भी अवगत करवाया जावे।
7.	पीआरएन (उत्तर–द्वितीय)	200:7	एलपीसी की 199वीं बैठक दिनांक 03.09.2024 में अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रजनी विहार के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित फैसिलिटी की भूमि 2814.59 वर्गगज में से सेक्टर रोड 24 मीटर की तरफ 1000 वर्गगज भूमि जीएसएस 33/11 केवी	समिति द्वारा लम्बित अनुपालना की समीक्षा के दौरान जोन उपायुक्त द्वारा बताया गया कि प्रकरण मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.08.2024 से स्थगन प्रभावी है। उक्त आदेश की जानकारी एलपीसी की बैठक दिनांक 03.09.2024 के पश्चात् दिनांक 5.9.24 को हुई है, इसलिए निर्णय की पालना नहीं की जा सकी है। प्रकरण पर विचार–विमर्श कर माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक समिति के निर्णय की पालना स्थगित किये जाने का निर्णय

			सब–स्टेशन निर्माण हेतु आरक्षित किये जाने के निर्णय की पालना बाबत्।	लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shiv Prasad Singh
Designation : Additional Commissioner
Date :21-09-2024 01:06:54

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर.302004
दूरभाष.क्ष91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्ष7019द्वरू फैक्स .91.0141.2575555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }